

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम
(राज्य सरकार का उपक्रम)
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005



क्रमांक : एफ.9() / आर.एम.एस.सी. / आर.टी.आई. / 2013 / 193

दिनांक: 23.04.2014

कार्यालय आदेश

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्य के निष्पादन हेतु अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के अन्तर्गत निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं-

क्र० सं०	लोक प्राधिकरण	लोक सूचना अधिकारी	अपीलेट अधिकारी
	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	कार्यकारी निदेशक (क्यू0सी0)	प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी

उक्त आदेश प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा अनुमोदित है।

प्रबन्ध निदेशक

आरएमएससी

दिनांक: 23.04.2014

क्रमांक : एफ.9() / आर.एम.एस.सी. / आर.टी.आई. / 2013 / 193

निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर।
3. निदेशक (जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. मिशन निदेशक (एनआरएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त प्रकोष्ठ प्रभारी, आरएमएससी, जयपुर।
6. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह।
7. रक्षित पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक
आरएमएससी